प्रेषक,

जिला विद्यालय निरीक्षक,
गौतमबुद्धनगर।

सेवा में,

प्रबन्धक,
ईश्वर चन्द इण्टर कालेज,
छपरौला – गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक / मान्यता(6–8) / 691–93 / 2014–15

दिनांक 30/5/14

विषय – सीधे हाईस्कूल की नवीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों को जूनियर हाईस्कूल (कक्षा 6 से 8 तक) की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सख्या 912/15–7–11–1(06)/2011 दिनांक 2 जून 2011 के द्वारा
इण्टर मीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन निर्मित परिषद् विनियमों के अध्याय – सात के विनियम पाँच
(18)अ में संशोधन के उपरान्त उप–खण्ड क, ख, ग व घ में हाईस्कूल की नवीन मान्यता 6 से 10 तक दिये जाने
की व्यवस्था में सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 इलाहाबाद की विज्ञप्ति दिनांक 28 जुलाई 2011 ,
स0परिषद–9/283 की जानकारी हेतु विज्ञाप्ति एंव प्रकाशित है कि शासन ने अपने पत्र सख्या
1139/15–7–2011–1(06)/2011 दिनाक 15 जुलाई 2011 के द्वारा इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन
निर्मित परिषद विनियमो के अध्याय–सात के विनियम–पाचँ 18(अ) के उप–खण्ड घ के पश्चात नवीन विनियम–ड को
जोडे जाने की स्वीकृति अधिनियम की धारा 16(2) के अन्तर्गत प्रदान की गई है के सम्बन्ध में प्रधानाचार्य,राजकीय
इण्टर कालेज, नौएडा (गौतमबुद्धनगर) द्वारा विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण कर आख्या पृ0स0/ मान्यता /
47/2014–15 दिनांक 26–05–2014 प्रस्तुत की है, जिसके अनुसार विद्यालय के पास कक्षा 6 से 8 तक एक–एक
अनुभाग संचालित करने के लिए 6X8 मी0 के तीन कक्षा–कक्ष, 6X9 मी0 को एक लैब तथा 6X5 मी0 का एक
वैकल्पिक कक्ष हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट वर्ग में विद्यालय को प्राप्त मान्यता के मानको के अतिरिक्त बने हैं। निरीक्षण
अधिकारी प्रधानाचार्य,राजकीय इण्टर कालेज नोएडा की संस्तुति के आधार पर आपके विद्यालय को
हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट की मान्यता के साथ विद्यालय को जूनियर हाईस्कूल कक्षा 6 से 8 तक एक–एक अनुभाग
के संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जू0हा0स्कूल की स्थाई / अस्थाई मान्यता उक्त
विद्यालय को प्राप्त है तो कक्षा संचालन के दिनांक 01–07–2014 से बेसिक शिक्षा परिषद की मान्यता शून्य समझी
जायेगी तथा विद्यालय के भवन/प्रागंण में प्राथमिक कक्षाऐं संचालित किया जाना पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा , तथा
यदि कोई तथ्य छिपाया पाया जाता है तो उक्त आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

भवदीय,

जिला विद्यालय निरीक्षक,
गौतमबुद्धनगर।

पृ0स0/मान्यता/ /2014–15 दिनांक उक्तवत

प्रतिलिपि निम्नाकिंत की सेवा में सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– सचिव , माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 , इलाहाबाद।
2– क्षेत्रीय सचिव , माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ।

जिला विद्यालय निरीक्षक,
गौतमबुद्धनगर।